GCMS No. : 2023/214

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारीः— अरविन्द कुमार जाखड़

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 65/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त — 1. श्री आकाश दीप पुत्र श्री राजकुमार (विक्रेता)
2. श्री राजकुमार पुत्र श्री मोहनलाल बत्तरा (मालिक)
फर्म — मै. बत्तरा स्वीट्स, 473 विनोबा बस्ती दुर्गा मार्केट, श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(।।)/54 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय दिनांकः 02 फरवरी, 2024

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कंवर पाल सिंह कार्यालय मु.चि.एवंस्वा. अधिकारी श्रीगंगानगर में दिनांक 11.03.2023 से इस पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 22.12.2022 और संशोधित आदेश दिनांक 26.12.2023 के अनुसार उन्हे कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2023 को दोपहर 02.30 बजे मैसर्स बत्तरा स्वीट्स, 473 विनोबा बस्ती दुर्गा मार्केट वार्ड नं. 32, श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर श्री आकाश पुत्र श्री राजकुमार विक्रेता की हैसियत से मौजूदा था और संस्थान में टीन के अंदर रखे खाद्य पदार्थ **रसभरी(छेना मिठाई)** के बारे में जानकारी चाहने पर विक्रेता ने टीप के अंदर रखे 14 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **रसभरी(छेना मिठाई)** को आमजन के बेचान हेतु बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **रसभरी(छेना मिठाई)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं. 05 ए भरकर देते हुए मौके पर फार्म सं. 05 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता, मालिक एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म 05 ए की एक प्रति खोद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री आकाशदीप पुत्र श्री राजकुमार(विक्रेता) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्ष अधिकारी ने आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ में से 2 किलोग्राम **रसभरी(छेना मिठाई)** को विक्रेता से खरीद किया, मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **रसभरी(छेना मिठाई)** का नगद भुगतान 400

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रुपए किया एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रसभरी(छेना मिठाई)** को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर, प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद कर, चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1680** दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर किए और खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1680** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़ाकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री आकाशदीप पुत्र श्री राजकुमार ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर अगले कार्यदिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की तथा शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्साएवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 284/एक्ट/2023/284 दिनांक 22.03.2023 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1680** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ा)/54 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ Containing Extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food safety & standard act 2006 due to presence of added starch होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दिनांक 27.10.2023 को जवाब प्रस्तुत किया कि परिवाद पत्र की चरण संख्या 1 के तथ्य दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार है। अधिकृत बाबत कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है। परिवाद पत्र की चरण संख्या 2 के तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। परिवाद पत्र की चरण संख्या3 जिस प्रकार से अंकित की गई है, स्वीकार नहीं है बल्कि वास्तविकता यह है कि परिवादी अप्रार्थी के संस्थान पर आया और बिना कुछ बताये रसोई में चला गया तथा रसभरी (छेना मिठाई) उठाकर ले गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 से कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। परिवाद पत्र

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

की चरण संख्या 4 के तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए हैं, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी को कोई रसीद नही दी गई ना ही मौके पर कोई लिखापढी की तथा ना ही कुछ पढकर सुनाया। केवल मात्र अपने आपको अधिकारी बताकर दबाव मे खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाए। परिवाद पत्र की चरण संख्या 5 के तथ्य मिथ्या एवं मनगढत होने के कारण अस्वीकार है। परिवादी द्वारा अप्रार्थी से खाद्य पदार्थ रसभरी खरीद नही की ना ही दो किलोग्राम वजन तोलकर दिया तथा ना ही 400/- रुपए की कोई राशि परिवादी से प्राप्त की गई तथा ना ही अप्रार्थी द्वारा कैशमीमो जारी किया गया। कैश मीमो अगर पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है तो वह अप्रार्थी द्वारा जारीशुदा नही है बल्कि खाली कागज पर परिवादी द्वारा कूटरचना कर तैयार किया गया। मौके पर अप्रार्थी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नही था, इसलिए गवाह के हस्ताक्षर भी परिवादी द्वारा कूटरचना कर तैयार किया गया। मौके पर अप्रार्थी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नही था, इसलिए गवाह के हस्ताक्षर भी परिवादी द्वारा स्वय बाद मे करवाए गए। परिवाद पत्र की चरण संख्या 6 के तथ्य मिथ्या एवं कपोल कल्पित होने के कारण अस्वीकार है। मौका पर रसभरी बोतलों मे नहीं भरी गई, ना ही फार्मेलिन की बूंदे डाली गई, ना ही लेबल तैयार कर चिपकाए गए, ना ही कोई कोड एव क्रमांक अंकित किया गया, ना ही अप्रार्थी के सामने परिवादी के व अन्य गवाह के कोई हस्ताक्षर किए तथा ना ही खाकी कागज मे लपेटकर गोंद से चिपकाकर धागे से बाधकर सील मोहर किया गया। मौके पर वर्णित कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। परिवाद पत्र की चरण संख्या 7 के तथ्य मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। मौका पर परिवादी द्वारा कोई कार्यवाही फर्द रिपोर्ट तैयार नही की गई, ना ही अप्रार्थी गवाह को पढस्कर, सुनाकर, समझाकर हस्ताक्षर करवाए गए तथा ना ही स्वय हस्ताक्षर मौका पर किए। परिवाद पत्र की चरण संख्या 8 के तथ्य जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। इस मद मे वर्णित समस्त तथ्य अप्रार्थी की गैर मौजूदगी मे सम्पन्न किए गए। इसलिए अप्रार्थी को कोई जानकारी नही है। परिवादी द्वारा किस दिनाक को अपने कार्यालय मे उक्त कार्यवाही करते हुए बीकानेर व श्रीगगानगर मे जमा करवाए गए, इस बाबत कोई तथ्य प्रार्थना पत्र/परिवाद मे अंकित नहीं किया गया। परिवाद पत्र की चरण संख्या 9 मे वर्णित कथनो की अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गई परन्तु प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो से यह प्रतीत होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ निर्माण सामग्री की कोई जानकारी नही है। इसलिए परिवादी द्वारा उक्त परिवाद अप्रार्थी के विरूद्ध बिना किसी कारण के ब्लेकमेल करने के आशय से तैयार कर श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। रसभरी छेना मिठाई व अन्य मिठाइया जो कि स्पजी नही होती वह मिठाइया बिना मैदा सूजी के तैयार नही होती तथा मैदा सूजी खाने की सामग्री है। इसमे किसी प्रकार की कोई मिलावट नही होती है। छेन मिठाई स्पजी नही होती है। परिवादी ने केवल मात्र अप्रार्थी के सस्थान को बदनाम करने के लिए रजीशवश उक्त परिवाद तैयार किया है। स्पजी मिठाई जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसभरी, रसमलाई आदि बिना मैदा सूजी से निर्मित होती है। मैदा सूजी खाद्य पदार्थ है तथा इनमे किसी प्रकार का कोई कैमिकल नही होता तथा अप्रार्थी के प्रकरण मे जाच रिपोर्ट मे न तो नकली मावा का तथ्य अंकित है तथा ना ही कोई कैमिकल होने का। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद झूठे तथ्यों के आधार पर बनाकर पेश किया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

श्रीगंगानगर

परिवाद पत्र की चरण संख्या 10 और 11 तथ्य कानूनी है। परिवाद पत्र की चरण संख्या 12 में वर्णित तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया तथा ना ही किसी कानून का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पर कोई जुर्माना इस धारा में नहीं लगाया जा सकता। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में अतिरिक्त कथन किया कि कोई भी अधिकारी जांच हेतु सामान क्रय करके सैम्पल नहीं भरता बल्कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दुकान में रखे सामान में से थोड़ी मात्रा में सैम्पल हेतु ले लेता है परन्तु वर्तमान प्रकरण में परिवादी द्वारा सामान क्रय करना व राशि अदा करना बताया गया है इसलिए परिवाद काबिले खारिज है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री आकाशदीप पुत्र श्री राजकुमार मैसर्स बत्तरा स्वीटस, 473 विनोबा बस्ती, दुर्गा मार्केट, श्रीगंगानगर से लिया गया **रसभरी(छेना मिठाई)** का सैम्पल **के–1680** जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 284/एक्ट/2023/284 दिनांक 22.03.2023 द्वारा Containing Extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food safety & standard act 2006 due to presence of added starch पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/54 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री विजय कुमार चावला को पृथक– पृथक समय पर बार–बार रूक–रूककर आवाजें लगाई गईं, परन्तु अप्रार्थी के अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of **"Rashbhari Chehena Mithai(Made bymilk and sugar"** bearing Code No. and Sr. No. K-1680 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Food Containing Extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food safety & standard act 2006 due to presence of added starch.**

फलस्वरूप, श्री आकाशदीप पुत्र श्री राजकुमार और श्री राजकुमार पुत्र और श्री मोहनलाल बत्तरा मैसर्स बत्तरा स्वीटस, 473 विनोबा बस्ती, दुर्गा मार्केट, श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii)/54 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्तगण श्री राजकुमार और श्री राजकुमार पुत्र और श्री मोहनलाल बत्तरा को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के अन्तर्गत राशि रूपये 20000/– (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।